

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु. नं० 39/17 तारीख 9.5.17

उजवान - दायाबाई वनाम काहराशुर्कर  
निसुरा

दायाबाबत तंकास्मा क्षाराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह Adv. ने दायाबाबत तंकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दाया दर्ज गिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन से लम्ब कर दिनांक 4-7-17 को पेश हो।

1599-1600  
9.5.17

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

10.7.17

वादी वकील उप. 1 प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री लंकाशुर्कर Adv ने बकालतनामा व जमाब पेश किया। गफल दिनांक 1 प्रतिवादी नं. 2 अपजूर लम्पता उप. नहीं उनके विलह एक पक्षीप कार्रवाही की गयी है दि. 5.7.17 को पेश हो।


काहराशुर्कर

5.7.17) वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कैम्प में है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19.7.17 को पेश हो।

12.7.17

वकूलाय उप. 1 वकील उपपक्ष ने कथन किया कि कादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 कादयत्र में वर्णित क्षाराजीपत में हिस्सा 1/2 - 1/2 के खेत उप. काशतम्प है। मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी लकास्मा कर दिया जावे। वँधारा स्थीम लम्ब कर दाया फाईनल

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर दोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
4.9.18 दि. 9/9/18 दि. 9/9/18	<p>बकुलाय उप.। वकील प्रतिवादी ने द. 022 R. 3 चर्च का जबाब पेश नहीं कर कथन किया कि द. 022 R. 3 स्वीकार कर ली जावे। वादिया नं. 7 चेंगकोर के कायम मुकाम पूर्व से ही रिकार्ड पर है द. सीमा का दावा अथवा बंधारा मुताबिक बंधारा स्वीम फाइनल डिक्ली कर दिया जावे। वादी वकील ने भी बंधारा स्वीम के अनुसार दावा फाइनल डिक्ली कर दिऐ जावे का कथन किया। वादिया चेंगकोर के नाम के अंगे मृतक शब्द लिखने के आदेश दिये जाते है वकील उभयपक्ष की बहस पर मगन का पत्रावली का आवलोकन किया। बंधारा स्वीम के मुताबिक दावा डिक्ली किया जाता है विस्तृत निधि पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया जाता है पर्या डिक्ली जारी करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपजिला कलेक्टर                      दोडाभीम (कसैली)                 </p>